न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/00178 (Bank Case)
Manual no- 63/2020

"जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक रजिस्टर्ड कार्यालय –102कंचन अपार्टमेंट, एल0बी0एस0 कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर राजस्थान पिन–302004 में स्थित व कार्यरत है ।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री रवि प्रकाश कश्यप पुत्र श्री राधा किशन कश्यप **(ऋणी)**
   पता– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने, कोटडी गुमानपुरा कोटा राजस्थान–324007
2. श्रीमति शारदा पत्नि श्री राधा किशन कश्यप **(सहऋणी –बंधककर्ता)**
   पता– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कोटडी गुमानपुरा कोटा राजस्थान–324007
3. श्री सुरेश कश्यप पुत्र श्री छोटूलाल **(जमानती)**
   पता– न्यू मन्दिर के पास, भोई मोहल्ला, कोटडी कोटा राजस्थान–324007
4. श्री संजय कुमार पुत्र श्री देवलाल
   निवासी–537, सेठ हरि का चन्द की हवेली, सुलभ कॉम्पलेक्स, वार्ड नं. 37, कोटडी गोरधनपुरा कोटा राजस्थान–324007

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 14.10.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक रजिस्टर्ड कार्यालय –102कंचन अपार्टमेंट, एल0बी0एस0 कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर राजस्थान पिन–302004 में स्थित व कार्यरत है । से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 31.07.2017 को 7,00,000/– (अक्षरेः सात लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **बंधक अचल सम्पत्ति श्रीमति शारदा पत्नि स्व0 श्री राधा किशन कश्यप की सम्पत्ति भोई मोहल्ला कोटडी गोरधनपुरा, कोटा राजस्थान प्लॉट एरिया 66.67 वर्गगज है । जिसकी चर्तुः सीमा पूरब में– आम रास्ता, पश्चिम में– मकान मोहनलाल जी का, उत्तर में–रास्ता पटान, दक्षिण में– मकान छीतर जी का जिसका पट्टा नगर परिषद द्वारा जारी किया गया है** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 14.08.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 6,12,849/– (अक्षरेः छः लाख, बारह हजार आठ सौ उन्चास मात्र) बकाया रकम दिनांक 05.12.2019 तक शेष देय है व दिनांक 6.12.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए

अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान केसरी में व अंग्रेजी समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.12.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान प्लस में व अंग्रेजी समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.12.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 12.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान प्लस में व अंग्रेजी समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.12.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **बंधक अचल सम्पत्ति श्रीमति शारदा पत्नि स्व0 श्री राधा किशन कश्यप की सम्पत्ति भोई मोहल्ला कोटडी गोरधनपुरा, कोटा राजस्थान प्लॉट एरिया 66.67 वर्गगज है । जिसकी चर्तुः सीमा पूरब में– आम रास्ता, पश्चिम में– मकान मोहनलाल जी का, उत्तर में–रास्ता पटान, दक्षिण में– मकान छीतर जी काजिसका पट्टा नगर परिषद द्वारा जारी किया गया है ।**
का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा